आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 806/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कैनरा बैंक, शाखा कार्यालय– प्लॉट नं. 2, पीर बाबा के पीछे, देवली, जिला टोंक।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स बी. एस. एस. कान्ट्रेक्टर जरिये प्रोपराईटर श्री भीम सिंह शेखावत पुत्र श्री मोहन सिंह,
2. श्री भीम सिंह शेखावत,
3. श्री सतू सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह,
   पता:– इमानुएल स्कूल के पास, देवली, जिला टोंक।
4. श्री भंवर सिंह राठौड पुत्र श्री श्योजी सिंह राठौड,
   पता:– प्लॉट नं. 80, पृथ्वी नगर, नया खेडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री भवानी सिंह नरूका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री जितेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक: 17.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री मंवर सिंह राठौड़ के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 80, पृथ्वी नगर, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 197.26 वर्गगज** को बंधक रख कर दिनांक **30.10.2013** को राशि **40,00,000/–** रूपये, दिनांक **30.06.2014** को राशि **03,58,00,000/–** रूपये, दिनांक **01.09.2020** को राशि **19,00,127/–** रूपये, दिनांक **25.06.2021** को राशि **14,18,900/–** रूपये, कुल राशि **04,31,19,027/–** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को ने दिनांक 02.05.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक/हाइपोथिकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री जितेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता द्वारा केवियट प्रस्तुत की गई। केविटयकर्त्ता को नोटिस जारी किए गए। केवियटकर्त्ता उपस्थित है। उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि **04,31,19,027/–** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक/हाइपोथिकेट के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि राशि **04,33,30,548/–** रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.05.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा धारा 13 (2) के नोटिस का जवाब प्रार्थी बैंक को दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा कर दिया गया है, तत्पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेट सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक/हाईपोथिकेट सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निस्तारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्री भंवर सिंह राठौड़ के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 80, पृथ्वी नगर, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 197.26 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 17.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर